

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 265

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2023-02131

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "मारुति रेसीडेन्सी (फेस-2)", प्रमोटर-मारुति टाउनशिप,  
द्वारा-श्री पुरुषोत्तम देवांगन, पता-205, समता शॉपिंग आर्केड, समता कॉलोनी,  
जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-"मारुति रेसीडेन्सी (फेस-2)" चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
27/03/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>- प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शास्ति रूपये 5,000/- का अनावेदक द्वारा चालान के माध्यम से दिनांक 27.02.2024 को निर्धारित शासकीय मद में जमा कर प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है।</li><li>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</li><li>- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</li></ul> <p>सही/- (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही/- (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	